उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-01/2019-20

शंभूनाथ साह

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
[illegible]	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया। वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता शंभूनाथ साह, पे0—स्व0 सुकदेव साह, सा0—सुरनी, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0—19/17 आदेश दिनांक—26.02.2019 के विरूद्ध रिविजन आवेदन दायर किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा ने मुटेशन अपील नं0 19/17 आदेश दिनांक 26.02. 2019 के द्वारा रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन निरस्त किया है। रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा करार चकला नं0—32 जमाबंदी सं0—31 कुल रकवा 05—04—04 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में केदार साह, पे0—शिव प्रसाद साह वो मानिक चन्द्र साह वो संतोखी साह पे0—ढोढ़ाय साह कौम तेली शा0 देह के नाम से दर्ज है। उनका आगे कथन है कि संबंधित दोनों पक्षों के पूर्वज गोतिया है, जिनका उक्त जमाबंदी की जमीन पर समान हिस्सा है, जो निबंधित दस्तावेज सं0—3 दिनांक 02.08.1975 से स्पष्ट होता है। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा मौजा—करार चकला थाना नं0—320 जमाबंदी सं0—31 के दाग नं0—29 रकवा 03—08—12 धुर जमीन का गलत तरीका से अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामांतरण वाद—78/11—12 के आदेश दिनांक—02.06.2011 के द्वारा नामांतरण करा लिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि उपसमाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0—19/17 दायर किया था। लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा के द्वारा रिविजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल तथ्यों पर विचार किये बिना ही रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन को आदेश दिनांक 26.02.19 के द्वारा खारिज किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0—19/17 आदेश दिनांक

26.02.19 एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के म्युटेशन केश नं0–78/11–12 आदेश दिनांक 02.06.2011 को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अन्य हिस्सेदारों के साथ अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी का अन्य कई मौजा जैसे धासीचक में जमाबंदी सं0 8, मौजा–चम्पा में जमाबंदी सं0–24, मौजा–बोरमा में जमाबंदी सं0–68 मौजा–दासु चकला में जमाबंदी सं0–68, मौजा–दासु चकला में जमाबंदी सं0–32 एवं मौजा–सुरनी में जमाबंदी सं0–83 में जमीन है एवं निबंधित बँटवारानामा 809/1995 के पूर्व सभी ने आपस में जमीन का बँटवारा कर लिया था। बँटवारा पर अपीलकर्त्ता को छोड़कर अन्य किसी हिस्सेदार को आपत्ति नहीं है। मौजा–करार चकला में अपीलकर्त्ता का हिस्सा रकवा 01–06–01 धुर होगा। लेकिन अपीलकर्त्ता के पिता–स्व0 सुकदेव साह को अन्य मौजा में जमीन हिस्सा में प्राप्त हुआ है, जो अपीलकर्त्ता को विरासत में प्राप्त हुआ है। उनका आगे कथन है कि उक्त बँटवारा पर किसी अन्य हिस्सेदार को कोई आपत्ति नही हैं। बटँवारा के आधार पर किये गये नामांतरण से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसी कारण से किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया था। उक्त जमीन का नामांतरण के छः वर्ष के बाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया था। काल बाधित होने के कारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को नियमानुसार खारिज किया गया है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–करार चकला नं0–320 जमाबंदी सं0–39 कुल रकवा 05–04–04 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मन्दार साह वल्द शिवु साह वो मानीक चन्द्र साह वो संतोखी साह पेशरान ढोढ़ाय साह कोम तेली के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0–31 के अन्तर्गत रकवा 03–08–12 धुर जमीन का बँटवारा नं0–45 दिनांक 03.01.2007 के आधार पर अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा जनार्दन प्र0 साह के नाम से नामांतरण किया गया है एवं उसी बँटवारा दस्तावेज सं0–45 दिनांक 03.01.2007 का उल्लेख करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता शंभुनाथ का अपील आवेदन खारिज किया गया है। जबकि बँटवारानामा दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी जर्नादन साह को उक्त

जमाबंदी के अंतर्गत दाग नं0–21 एवं दाग नं0–29 रकवा क्रमशः 01–15–12 एवं 00–16–10 धुर कुल रकवा 02–12–02 धुर जमीन बँटवारा के अनुसार मिला है। लेकिन उक्त अपीलकर्त्ता शंभुनाथ साह या उनके पिता का भी हस्ताक्षर उक्त बँटवारानामा में नहीं है। बँटवारानामा दस्तावेज सं0 1116 दिनांक 12.08.1975 में भी मानिक चन्द्र साह के हिस्से में मौजा करार चकला नं0 32 जमाबंदी सं0 31 के अन्तर्गत रकवा 02–12–02 धुर जमीन दिखाया गया है। इस प्रकार बँटवारा दस्तावेज के अनुसार नामांतर सही प्रतित नहीं होता है एवं ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील वाद सं0–19/17 (शंभुनाथ साह बनाम् जनार्दन साह) आदेश दिनांक 26.02.19 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, मेहरमा को प्रति प्रेषित करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि बँटवारा से संबंधित कागजातों का भली भाँति अवलोकन कर विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाय।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/10/21 | 08/10/21
उपायुक्त, | उपायुक्त,
गोड्डा। | गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:57:21 +05:30
Location: 192.168.29.8